भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, तारीख 26 दिसम्बर, 1997

अधिसूचना

(आय-कर)

का० आ०   (अ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54च० ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शेयरों और डिबेंचरों को, उक्त धारा के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात् :-

(i) मैसर्स शापूरजी पल्लोंजी पावर कंपनी लि० भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 70, नगीनदास मास्टर रोड, फोर्ट मुम्बई- 400023 में है, के द्वारा जारी किए जाने वाले 40 करोड़ रुपए से अनधिक रकम के ऐसे शेयर, जो इसके आबंटन की तारीख से 7 वर्ष से पूर्व अन्तरणीय नहीं है: परन्तु ऐसे शेयर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्धारिती को जारी या आबंटित कर दिए गए हों।

(ii) मैसर्स शापूरजी पल्लोंजी पावर कंपनी लि०, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 70, नगीनदास मास्टर रोड, फोर्ट, मुम्बई में है, के द्वारा जारी किए जाने वाले 100 करोड़ रुपए से अनधिक रकम के ऐसे डिबेंचर, जो इनके आबंटन की तारीख से 7 वर्ष से पूर्व अन्तरणीय और संपरिवर्तनीय नहीं है: परन्तु ऐसे डिबेंचर, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्धारिती को जारी और आबंटित कर दिए गए हों ।

अधिसूचना सं० 10482

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II

SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

* * * * *

New Delhi, the 26th December, 1997.

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. (E) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 54EB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following shares and debentures as specified securities for the purpose of the said Section namely:-

(i) shares to be issued by M/s. Shapoorji Pallonji Power Company Ltd., a public company registered under the Indian Companies Act, 1956 and having its registered office at 70, Nagindas Master Road, Fort, Bombay-400023, of an amount not exceeding Rs. 40 crores, which are not transferable before 7 years from the date of its allotment: Provided that shares or issued and alloted to the assessee within one year from the date of the publication of this notification, and

(ii) debentures to be issued by M/s. Shapoorji Pallonji Power Company Ltd., a public company registered under the Indian Companies Act, 1956 and having its registered office at 70, Nagindas Master Road, Fort, Bombay-400023, of an amount not exceeding Rs. 100 crores, which are not transferable or convertible before 7 years from the date of its allotment; Provided that debentures are issued and alloted to the assessee within one year from the date of the publication of this notification.

Notification No. 10482

(H.K. CHOUDHARY)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

(F.No.178/99/97-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.